डॉ0 बी0 राजेन्दर, सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 29.12.2014 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में आयोजित Shelter for Urban Homeless (SUH) परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक की कार्यवाही ।

<u>उपस्थिति</u> :– संलग्न सूची के अनुसार ।

2. सर्वप्रथम सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, तथा अध्यक्ष, परियोजना स्वीकृति समिति, **Shelter for Urban Homeless** द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया एवं इस योजना के उद्देश्यों पर चर्चा के साथ बैठक प्रारम्भ की गयी । इस बैठक हेतु मुख्यतः निम्न एजेण्डा हैं :–

(1) **Shelter for Urban Homeless** योजनान्तर्गत नई योजनाओं की स्वीकृति ।
(2) पूर्व से मौजूद आश्रयस्थलों की स्थिति एवं रख–रखाव पर चर्चा ।
(3) HUDCO एवं HPL द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा ।
(4) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के बारे में चर्चा ।

<u>Shelter for Urban Homeless योजनान्तर्गत नई योजनाओं की स्वीकृति</u> :–

I. परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा सर्वसम्मति से पटना नगर निगम में 3 एवं अन्य सभी नगर निगमों में 2–2 शहरी आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए आश्रयस्थल बनाने की स्वीकृति दी गयी । साथ ही सभी जिला मुख्यालयों में एक–एक आश्रयस्थल का निर्माण करने की स्वीकृति भी प्रदान की गयी । इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग की अनुशंसा के आलोक में निम्न नगर निकायों में भी 50 व्यक्तियों के लिए आश्रयस्थलों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी :– (1) बोध–गया, (2) राजगीर, (3) लालगंज, (4) सुल्तानगंज, (5) हवेली–खड़गपुर, (6) गोगरी–जमालपुर, (7) नवगछिया, (8) अमरपुर, (9) वारसलीगंज, (10) झाझा । इस प्रकार नगर निगमों में कुल 23 यूनिट, अन्य जिला मुख्यालयों में कुल 27 यूनिट एवं उक्त 10 नगर पंचायतों में 10 यूनिट अर्थात् कुल 60 यूनिट आश्रयस्थलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

II. प्रत्येक यूनिट आश्रयस्थल की लागत एवं डिजाईन पर भी विचार–विमर्श किया गया तथा SPUR के अभियन्ताओं द्वारा तैयार किये गये डिजाईन एवं प्राक्कलन को मंजूरी देते हुए यह तय किया गया कि इसकी कॉपी सभी संबंधित नगर निकायों को भेज दी जाए एवं नगर निकायों के माध्यम से ही आश्रयस्थलों का निर्माण कराया जाए । SPUR के अभियन्ताओं द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन एवं डिजाईन के अनुसार बिना प्रबंधन प्रति इकाई कुल लागत ₹37,03,076.00 है । अतः कुल 60 निर्मित होनेवाले इकाइयों के लिए कुल ₹22,21,80,000.00 की स्वीकृति दी गयी ।

<u>पूर्व से मौजूद आश्रयस्थलों की स्थिति एवं रख–रखाव पर चर्चा</u> :–

I. आश्रयस्थलों के रख–रखाव एवं प्रबंधन पर भी विचार–विमर्श किया गया तथा यह तय किया गया कि सभी संबंधित नगर निकाय पूर्व से मौजूद आश्रयस्थलों एवं निर्माण किये जानेवाले आश्रयस्थलों के रख–रखाव एवं प्रबंधन की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे । इस हेतु राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत Shelter for Urban Homeless योजना के अधीन धनराशि का प्रावधान किया गया है । इसके तहत 50 व्यक्तियों के आश्रयस्थल के लिए सालाना ₹06.00 लाख

रख–रखाव एवं प्रबंधन के अन्तर्गत अनुमान्य है । इस आलोक में पूर्व से मौजूद 66 आश्रयस्थलों एवं निर्मित किये जानेवाले 60 आश्रय स्थलों अर्थात् कुल 126 आश्रयस्थलों के लिए सालाना ₹06.00 लाख की दर से कुल ₹07.56 करोड़ राशि स्वीकृत करने का भी निर्णय लिया गया ।

II. निर्णय लिया गया कि मंजूर की गयी उक्त राशि नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दी जाए एवं नगर निकायों को तत्काल कार्य प्रारम्भ करने का निदेश दिया जाए । आश्रयस्थलों के रख–रखाव एवं प्रबंधन हेतु निविदा के माध्यम से एजेन्सी के चयन के लिए SPUR द्वारा निविदा प्रपत्र तैयार कराये जाने का भी निर्णय लिया गया ।

<u>HUDCO एवं HPL द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा</u> :–

I. HUDCO द्वारा राज्य के नगर निगमों को Corporate Social Responsibility के तहत आश्रयस्थलों के निर्माण हेतु सहायता का प्रस्ताव दिया गया है । इस सम्बन्ध में समिति द्वारा विचार किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में NULM योजना के अन्तर्गत राशि व्यय की जाए तथा इसके अतिरिक्त यदि नगर निकाय चाहें तो अपनी आवश्यकता के अनुरूप HUDCO से सहायता प्राप्त करने पर विचार कर सकते हैं ।

II. HPL द्वारा आश्रयस्थलों के निर्माण हेतु रूचि जाहिर करते हुए प्रस्ताव समर्पित किया गया है कि HPL को राज्य सरकार आश्रयस्थलों के निर्माण हेतु नामित करे एवं प्रीफैब तकनीक द्वारा आश्रयस्थलों का निर्माण कराया जाय । इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्तमान में आश्रयस्थलों का निर्माण नगर निकायों द्वारा कराया जायेगा । यदि वे HPL का चयन करना चाहते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई कर सकते हैं ।

<u>माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के बारे में चर्चा</u> :–

I. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शहरी गरीबों एवं आश्रयस्थलों के बारे में दिये गये नवीनतम निर्देशों पर भी चर्चा की गयी और निर्णय लिया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा । निर्णय लिया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से सभी नगर निकायों को अवगत कराया जाए एवं निर्देश दिया गया कि वे इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

(बी0 राजेन्दर)
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक 4/NULM-09/2014 112(90) पटना, दिनांक : 6/1/15

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री महोदय के अवलोकनार्थ उपस्थापित करने हेतु प्रेषित ।

सचिव

ज्ञापांक 4/NULM-09/2014 112(90) पटना, दिनांक : 6/1/2015

प्रतिलिपि : सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव